प्रेषक,

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्र सं- 1407/ XV/ सिविल/2020/ कासगंज दिनांक - 24.08.2020

विषय- जनपद न्यायालय कासगंज में कार्यरत न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी के कोविड-19 संक्रमण से पाजिटिव पाये जाने की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 24.08.2020 के अनुसार श्री कृपा शंकर शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज एवं उनके वाहन चालक श्री धीर सिंह कोविड-19 संक्रमण से पाजिटिव पाये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र सं०-1117/ LXXXII/CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 में जारी निर्देश संख्या 14 एवं 15 के अनुपालन में इस कार्यालय के आदेश दिनांकित 24.08.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा मौजूदा न्यायालय परिसर के निसंक्रमित एवं सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन हेतु दिनांक 25.08.2020 एवं 26.08.2020 के लिये बन्द किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

24.08.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

संलग्रक- यथोक्त।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कासगंज।

प्रशासनिक आदेश संख्या– 179 **दिनांक– 24.08.2020**

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 24.08.2020 के अनुसार श्री कृपा शंकर शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज एवं उनके वाहन चालक श्री धीर सिंह कोविड–19 संक्रमण से पाजिटिव पाये गये हैं। श्री कृपा शंकर शर्मा द्वारा स्वयं को होम आइसोलेट होने की सूचना दूरभाष के माध्यम से प्राप्त करायी गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज द्वारा भेजी गयी कोविड–19 परीक्षण टीम द्वारा जनपद न्यायालय कासगंज में कार्यरत समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण का परीक्षण दिनांक 24.08.2020 को कराया गया, जिसमें न्यायालय के अन्य कर्मचारी भी कोविड–19 संक्रमण से पाजिटिव पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में कोविड–19 संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु न्यायालय परिसर को निसंक्रमित कराये जाने हेतु मौजूदा न्यायालय परिसर को बन्द कर सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उसके उपरान्त ही न्यायालय को न्यायिक कार्य हेतु खोला जा सकता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र सं०–1117/ LXXXII/CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 03.06.2020 में जारी निर्देश संख्या 14 एवं 15 के अनुपालन में मौजूदा न्यायालय परिसर को सम्पूर्ण सेनेटाईजेशन हेतु दिनांक 25.08.2020 एवं 26.08.2020 के लिये बन्द किया जाता है।

साथ ही समस्त रीडर/मुंसरिम को आदेशित किया जता है कि वह दिनांक 25.08.2020 एवं 26.08.2020 को नियत वादों में सामान्य तिथियां (क्रमशः दिनांक 23.09.2020 एवं 24.09.2020) नियत करना सुनिश्चित करें। ग्राम न्यायालय पटियाली, जनपद कासगंज पूर्ववत कार्यरत रहेगा।

उक्त अवधि में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र सं०–1298/ LXXXII/CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 28.07.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालयों द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सकता है।

01– जनपद न्यायालय कासगंज में निम्नलिखित पैरेन्ट्स कोर्ट्स एवं विशेष क्षेत्राधिकारिता प्राप्त समस्त सत्र न्यायालय वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से न्यायिक कार्य करेंगे :–

(a)– जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(b)– विशेष क्षेत्राधिकारिता प्राप्त समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय
(c)– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(d)– सिविल जज (सी०डि०)
(e)– सिविल जज (जू०डि०)–प्रथम
(f)– सिविल जज (जू०डि०)–द्वितीय

02– न्यायालय परिसर के बन्द होने की दशा में उपरोक्त न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित न्यायिक कार्य किये जायेंगे–

(a)– लम्बित/नवीन जमानत प्रार्थना–पत्र
(b)– लम्बित एवं नवीन अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र
(c)– आवश्यक प्रकृति के प्रकीर्ण फौजदारी प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण
(d)– आवश्यक प्रकृति के ऐसे सिविल प्रार्थना–पत्र, जो व्यादेश (Injunction) से सम्बन्धित हों, का निस्तारण
(e)– विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड/न्यायिक कार्य
(f)– ऐसे अन्य प्रकृति के मामले, जिसे जनपद न्यायाधीश उचित समझें।

3- जनपद न्यायालय कासगंज की अधिकृत **ई-मेल dckasganjcovid19@gmail.com** पर जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र तथा अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। वादकारीगण

Scanned with CamScanner

एवं अधिवक्तागण की सहायता हेतु निम्नलिखित मोबाईल नम्बर अधिकृत किये जाते हैं-

01- श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना, प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी- मो०नं० 9411057887

02- श्रीमती रंजना, सिस्टम आफीसर, मो० नं०- 8006080144

03- श्री प्रमोद कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, मो० नं०- 7017567514

4- ई-मेल से प्राप्त उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता एवं वादकारी का विवरण मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई०डी० सहित दिया जाना आवश्यक होगा।

5- कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा ई-मेल से प्राप्त ऐसे जमानत प्रार्थना पत्रों/अन्य आवश्यक प्रार्थना-पत्रों को डाउनलोड कर एक सूची तैयार की जायेगी।

6- कम्प्यूटर अनुभाग ई-मेल से प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को सी०आई०एस० पर दर्ज करना सुनिश्चित करेगा। प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि होने पर उसी दिन सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित करेगा।

7- ऐसे प्रार्थना पत्र, जो त्रुटिरहित होंगे, उनको 48 घण्टे के उपरान्त नियमानुसार सी०आई०एस० काज लिस्ट में दर्ज किये जायेगा।

8- केवल आवश्यक प्रकृति के प्रार्थना पत्रों को ही सी०आई०एस० काज लिस्ट में दर्ज में दर्ज किया जायेगा तथा अन्य वादों में सामान्य तिथियां नियत की जायेंगी। जमानत प्रार्थना-पत्र/अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्रों की प्रति अभियोजन पक्ष/डी०जी०सी० की ई-मेल आई०डी० अथवा वाट्सअप नम्बर पर प्रदान की जायेगी।

9- ई-मेल से प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं लम्बित रिकार्ड को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारी के आवासीय कार्यालय पर उपलब्ध कराया जायेगा। न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायालय की कार्यवाही हेतु JITSI वीडियो कान्फ्रेन्सिंग साफ्टवेयर का प्रयोग किया जायेगा।

10- सम्बन्धित अधिवक्तागण/अभियोजन पक्ष के साथ न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य किये जाने हेतु लिंक शेयर किया जायेगा।

11- विद्वान अधिवक्तागण/अभियोजन पक्ष लिंक के माध्यम से विडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए न्यायालय परिसर के अतिरिक्त निम्न टाइम-स्लाट के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकेगें-

क्रम सं०	न्यायालय का नाम	टाइम स्लाट
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	11:30 - 12.00 बजे तक
2	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, मानवाधिकार अधिनियम	12:00 - 12:20 बजे तक
3	विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट	12:20 - 12:40 बजे तक
4	विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट	12:40 - 13:00 बजे तक
5	षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम	13:00 - 13:20 बजे तक
6	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर अधिनियम	13:20 - 13:40 बजे तक
7	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष सं०- एक/ विशेष न्यायाधीश, एन०डी०पी० एस० एक्ट	13:40 - 14:10 बजे तक
8	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	14:10 - 14:40 बजे तक
9	सिविल जज (सी०डि०)	14:40 - 15:00 बजे तक
10	सिविल जज (जू०डि०)-प्रथम	15:00 - 15:20 बजे तक
11	सिविल जज (जू०डि०)- द्वितीय	15:20 - 15:40 बजे तक

12- मजिस्ट्रेट न्यायालय से सम्बन्धित अभियुक्तों के न्यायिक कार्य/रिमाण्ड कार्य पूर्व से नामित मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

सत्र न्यायालय से सम्बन्धित अभियुक्तों के न्यायिक कार्य/रिमाण्ड एवं बन्ध पत्रों को स्वीकार किये जाने, निर्मुक्ति आदेश (रिलीज आर्डर) से सम्बन्धित कार्य तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कासगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

13- न्यायालय परिसर में विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

14- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय कासगंज को आदेशित किया जाता है कि जिला प्रशासन के सहयोग से सम्पूर्ण न्यायालय परिसर तथा प्रत्येक न्यायालय कक्ष एवं कार्यालयों को सेनेटाइज व साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करें।

15- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र सं०-1306/LXXXII/CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित 19.08.2020 के अनुपालन में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

(a) जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट व अभियोजन अभिलेख मय केस डायरी के हार्ड एवं साफ्ट कापी में नियमित रूप से प्राप्त करेंगे तथा साफ्ट कापी न्यायालय की अधिकृत ई-मेल dckasganjcovid19@gmail.com पर नियमित रूप से प्रेषित करेंगे।

(b) नोडल आफीसर (कम्प्यूटर) एवं सिस्टम आफीसर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अवधि में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-1298/ LXXXII/CPC/e-Courts /Allahabad दिनांकित 28.07.2020 के अनुपालन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के द्वारा सुनवाई से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें एवं ई-मेल पर प्राप्त अभियोजन अभिलेख की साफ्ट काफी सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को जरिये ई-मेल अथवा वाट्सअप के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(c)समस्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशिति किया जाता है कि वह बिना हार्ड कापी की अपेक्षा किये ई-मेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों (लम्बित/नवीन प्रार्थना पत्रों/वादों) के निस्तारण करने का सफल प्रयास करेंगे।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रेषित की जाये तथा आदेश की प्रति जनपद न्यायालय कासगंज की वेबसाइट पर अपलोड की जाये एवं एक प्रति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, कासगंज को प्रेषित की जाये।

24-08-2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- जिलाधिकारी, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2- पुलिस अधीक्षक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय पटियाली, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- मुख्य चिकित्साधिकारी, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5- जिला अभियोजन अधिकारी, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6- समस्त बार एसोसियेशन, कासगंज को सूचनार्थ।

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
कासगंज।

Scanned with CamScanner